न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 147/2014 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2014/00152**

1. जसवीरसिंह पुत्र स्व. श्री मुख्त्यारसिंह जाति जट सिख निवासी बूड़ागुजर तहसील मुक्तसर, पंजाब।
2. जगजीत सिंह पुत्र स्व. श्री मुख्त्यारसिंह जाति जट सिख निवासी बूड़ागुजर तहसील मुक्तसर, पंजाब।

— **अपीलान्ट्स**

बनाम

1. जसवीरसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. परमजीत सिंह पुत्र श्री हमीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. लाभसिंह पुत्र श्री हमीरसिह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखदेवसिंह पुत्र श्री वीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. साधूसिंह पुत्र श्री वीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— **रेस्पोन्डेंट्स**

उपस्थितः श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट
श्री नायब सिंह — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 27.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 30.07.2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि श्रीगंगानगर के पटवार हल्का मोहनपुरा स्थित चक 8 वाई जमाबंदी संख्या 55/60 खसरा नंबर 39 के 12–10 बीघा भूमि मुखत्यारसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। श्री मुख्त्यारसिंह देहान्त दिनांक 05.09.1997 को हो गया। श्री मुख्त्यारसिंह के देहान्त पश्चात ग्राम पंचायत मोहनपुरा ने वारिसों के

आधार पर श्री मुख्त्यारसिंह की पत्नी श्रीमति मजजीतकौर दों पुत्रगण जसवीरसिंह, जगजीतसिंह का नाम विरासतन इंतकाल संख्या 278 दिनांक 06.11.2002 दर्ज कर दिया। इंतकाल संख्या 278 दिनांक 06.11.2002 से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 30.07.2013 से इंतकाल संख्या 278 दिनांक 06.11.2002 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को रिमांड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 30.07.2013 से व्यथित होकर अपीलांट ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे आदेश क्रमांक 627–633 दिनांक 27.10.2014 की पालना में हस्तान्तरित कर इस न्यायालय में पेशी में ली गई।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2013 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि मुखत्यारसिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। मुखत्यारसिंह के देहान्त हो जाने पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर पूरी जांच करके ग्राम पंचायत मोहनपुरा ने को विरासतन इंतकाल संख्या 278 दिनांक 06.11.2002 अपीलांट के हक में दर्ज कर दिया। विरास्तन इंतकाल दर्ज करने में न तो कोई तथ्यात्मक बाधा थी, न ही कोई कानूनी बाधा थी। ऐसी स्थिति में इंतकाल संख्या 278 दिनांक 06.11.2002 पूर्णतया सही व विधिवत रूप से दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इंतकाल संख्या 278 के विरूद्ध प्रथम अपील मियाद बाहर पेश की। रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपील पेश करने का अधिकार नहीं था। उक्त प्रकरण से संबधित भूमि के वाद संख्या 12/2004 अनवानी जंगीर सिह बनाम मुख्त्यारसिंह में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.01.2015 के द्वारा वादीगण अर्थात् जंगीरसिंह, हमीर सिह, वीर सिंह वगैरह का मूल वाद खारिज कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि पर मुख्त्यारसिंह के वारिसान (अपीलांट) को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी माना। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.01.2015 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की गई, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 04.07.2017 को खारिज कर दिया। उक्त डिक्री के अनुसरण में मुख्त्यारसिंह के विधिक वारिसान पुत्र जसवीर सिंह को वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी दिनांक 06.02.2015 को सुपुर्द किया जा चुका है। अपीलांट्स के पक्ष में इंतकाल भी दर्ज कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त भूमि श्रीगंगानगर के पटवार हल्का मोहनपुरा स्थित चक 8 वाई जमाबंदी संख्या 55/60 खसरा नंबर 39 के 12–10 बीघा भूमि मुखत्यारसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। श्री मुख्त्यारसिंह देहान्त दिनांक 05.09.1997 को हो गया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत ने वारिसों के आधार पर इंतकाल दर्ज कर दिया

जबकि इसी भूमि से संबंधित वाद विचाराधीन चल रहा था। इंतकाल दर्ज करते समय ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई का कोई मौका नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के पक्ष में इंतकाल संख्या 278 दिनांक 06.11.2002 को निरस्त कर दिया। जो विधि अनुसार सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि मुखत्यारसिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। मुखत्यारसिंह के देहान्त हो जाने पर अपीलांट्स के पक्ष में विरास्तन इंतकाल संख्या 278 दिनांक 06.11.2002 दर्ज कर दिया गया जो कानूनन सही है। उक्त प्रकरण से संबधित भूमि के वाद संख्या 12/2004 में उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश में वादग्रस्त भूमि पर मुख्त्यारसिंह (अपीलांट्स के पिता) को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी माना और कब्जा दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किए। उक्त आदेश की पालना भी हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 30.07.2013 को निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/5/24.

(वंदना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर